न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 16/2024 निर्णय दिनांकः– 16-4-26
(जीसीएमएस संख्या 2024/23)

1. प्रभूदान पुत्र उमरदान जाति चारण निवासी रातड़िया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2023
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः
1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2023 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की भूमि ग्राम रातड़िया के खेत खसरा नम्बर 115 तादादी 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 116 तादादी 3.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 153 तादादी 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 154 तादादी 0.01 हैक्टयर, खसरा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 155 तादादी 22.78 हैक्टयर, खसरा नम्बर 169 तादादी 0.13 हैक्टयर कुल तादादी 26.18 हैक्टयर में स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 36 थे। अपीलांट की पुराने खसरा नम्बर 36 की भूमि मे से एक ही रास्ता चलता था जिसको वर्तमान सैटलमेंट मे खसरा नम्बर 136 तादादी 0.53 हैक्टयर के रूप मे अंकित किया गया है। लेकिन दौराने सैटलमेंट, सैटलमेंट कर्मचारियो ने अपीलांट की भूमि मे नया रास्ता अंकित करते हुए अपीलांट की भूमि मे से 0.93 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज कर नया खसरा नम्बर 156 अंकित कर दिया जिसका सैटलमेंट कर्मचारियो को कोई अधिकार नहीं था। सैटलमेंट कर्मचारियो द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर पारित की गई होने से वॉयड है जबकि अपीलांट की भूमि के पूर्वी हिस्से मे से खसरा नम्बर 136 में केवल 0.53 हैक्टयर भूमि मे ही रास्ता चलता है, शेष खसरा नम्बर 156 तादादी 0.93 हैक्टयर भूमि पर अपीलांट बतौर खातेदार काबिज है मौके पर कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपीलांट ने खसरा नम्बर 156 तादादी 0.93 हैक्टयर भूमि की घोषणा करवाकर नक्शा दुरूस्त करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने निर्णय व डिक्री जैर अपील से खारिज कर दिया। विधि का स्थापित सिद्वांत है कि सैटलमेंट विभाग को पुराने इंद्राज मे परिवर्तन करने का अधिकार नही है लेकिन सैटलमेंट विभाग ने मौके पर रास्ता नहीं होते हुए भी नक्शे मे अंकित खसरा नम्बर 156 तादादी 0.93 हैक्टयर भूमि को रास्ते के रूप में अंकित कर दिया जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से दावा अपीलांट स्वीकार योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा खारिज करने में गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा में अपीलांट ने अपने दावा के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जिन्हे प्रदर्श लगवाने के लिए पेशी 18.01.2023 रखी गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.01.2023 की आदेशिका मे अपीलांट की बहस सुना जाना अंकित करते हुए निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिया जबकि दिनांक 18.01.2023 को पत्रावली में कोई बहस नही हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री मे स्टेट द्वारा प्रस्तुत जबाब को आधार बनाया है जिसमे भविष्य मे संकट उत्पन्न होने का कथन किया गया है जबकि वर्तमान मे मौके पर कोई रास्ता नही है। निर्णय व डिक्री जैर अपील कल्पनाओं पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपने दावे समर्थन मे समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा जमाबंदी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये थे लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नजरअंदाज कर बिना मांईड एप्लाई किये निर्णय डिक्री जैर अपील पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत निर्णय व डिक्री रिजन्ड बैस नही होने के कारण भी खारिज योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष गिरदावर हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट था कि खसरा नम्बर 156 में मौका पर मार्ग नही चल रहा है। ऐसी स्पष्ट रिपोर्ट के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को दावा स्वीकार करना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, नोखा दिनांक 30–01–2023 निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व समस्त दस्तावेजो का अवलोकन करते हुए तथा स्टेट का जवाब लेते हुए आदेश पारित किया है। अपीलांट अब अपील के माध्यम से किसी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए व धारा 131 एलआरए के तहत पेश किया गया।

प्रकरण में अपीलांट की मुख्य बहस यह रही है कि अपीलांट की भूमि ग्राम रातड़िया के खेत खसरा नम्बर 115 तादादी 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 116 तादादी 3.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 153 तादादी 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 154 तादादी 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 155 तादादी 22.78 हैक्टयर, खसरा नम्बर 169 तादादी 0.13 हैक्टयर कुल तादादी 26.18 हैक्टयर में स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 36 थे। अपीलांट की पुराने खसरा नम्बर 36 की भूमि मे से एक ही रास्ता चलता था जिसको वर्तमान सैटलमेंट मे खसरा नम्बर 136 तादादी 0.53 हैक्टयर के रूप मे अंकित किया गया है। लेकिन दौराने सैटलमेंट, सैटलमेंट कर्मचारियो ने अपीलांट की भूमि मे नया रास्ता अंकित करते हुए अपीलांट की भूमि मे से 0.93 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज कर नया खसरा नम्बर 156 अंकित कर दिया जिसका सैटलमेंट.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कर्मचारियो को कोई अधिकार नहीं था। सैटलमेंट कर्मचारियो द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर पारित की गई होने से वॉयड है जबकि अपीलांट की भूमि के पूर्वी हिस्से मे से खसरा नम्बर 136 में केवल 0.53 हैक्टयर भूमि मे ही रास्ता चलता है, शेष खसरा नम्बर 156 तादादी 0.93 हैक्टयर भूमि पर अपीलांट बतौर खातेदार काबिज है मौके पर कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपीलांट ने खसरा नम्बर 156 तादादी 0.93 हैक्टयर भूमि की घोषणा करवाकर नक्शा दुरूस्त करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दू यह है कि अपीलांट के पुराने खसरा नम्बर 36 में से एक रास्ता चलता था जिसे वर्तमान में सेटलमेंट विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 136 तादादी 0.53 हैक्टेयर के रूप में अंकित किया। सेटलमेंट के दौरान कर्मचारियों द्वारा अपीलांट की भूमि मे से 0. 93 हैक्टेर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज करते हुए नया खसरा नम्बर 156 अंकित कर दिया। खसरा नम्बर 136 में केवल 0.53 हैक्टर भूमि में ही रास्ता चल रहा है। शेष खसरा नम्बर 156 तादादी 0.93 हैक्टर भूमि पर अपीलांट काबिज है। अपीलांट द्वारा 0.93 हैक्टर भूमि की घोषणा करवाने बाबत दावा पेश किया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने समर्थन में फॉर्म नम्बर 3 के साथ जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, व मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्टेट का जवाब लिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी के दावा व स्टेट के जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी, तथा अपीलांट/वादी के दावा का निस्तारण तनकीवार किया जाना चाहिए था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो की अनदेखी की है। अपीलाधीन निर्णय में इन दस्तावेजी साक्ष्यो पर तार्किक विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिक दृष्टि से उचित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतीत नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पुष्टि योग्य निर्णय नही है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड़ अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–01–2023 निरस्त कर पत्रावली इन निर्देशो के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तार्किक विवेचन करते हुए तनकीवार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16-4-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर